भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2133

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शिकायत निवारण संबंधी आंतरिक तंत्र

2133. श्री अम्बेथ राजनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अध्यापक-गण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ अत्यधिक पक्षपात करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे का समाधन करने के लिए कोई आंतरिक तंत्र का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, एनआईटी, आईआईटीएस, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मौजूदा आंतरिक तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): सभी आईआईटी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के प्रति भेदभाव की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाया गया है। इसमें अ.जा./अ.ज.जा. सम्पर्क अधिकारी प्रणाली की स्थापना शामिल है जो ऐसे भेदभाव की शिकायतों की प्राप्ति जांच और निपटान करेगी। जाति के नाम पर रैगिंग के सभी रूपों पर रोक लगाई गई है तथा दोषी को सख्त सजा दी जाती है। सभी आईआईटी/ एनआईटी से शीर्ष समूह सहायता शिक्षा (पीएएल) प्रणाली का कार्यान्वयन करने के लिए कहा गया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को श्रमसाध्य शिक्षा से समन्वय करने में सहायता करेगा। अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों की आर्थिक रूप से सहायता की दृष्टि से सभी अ.जा/अ.ज.जा. छात्रों को ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट दी गई है।

*****